महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार
उच्च न्यायालय, पटना
बोली आमंत्रण सूचना(द्वितीय)

सू.सं.सं.– 16 पटना, दिनांक 31 जनवरी, 2026

महाधिवक्ता कार्यालय, बिहार, उच्च न्यायालय, पटना में रक्षित वैसे सामान यथा अत्यधिक पुराने अनुपयोगी कंप्यूटर, प्रिंटर, मोनिटर, की–बोर्ड, बैट्री, स्टैंड फैन, टेलिफोन सेट, कुर्सी, आलमीरा, एसी, फैक्स, स्टेबिलाईजर आदि जो अब किसी भी तरह से कार्यालय के उपयोग लायक नहीं रह गये हैं, का बोली के आधार पर निष्पादन किये जाने का आदेश विभागाध्यक्ष–सह–विद्वान महाधिवक्ता, बिहार द्वारा दिया गया।

उपर्युक्त के निष्पादन हेतु श्री ज्ञान प्रकाश ओझा, सरकारी अधिवक्ता संख्या–7 की अध्यक्षता में एक कमिटि का गठन किया गया था, जिसकी दिनांक 07.01.2026 की बैठक में निम्नांकित निर्णय लिये गये थेः–

1. उपर्युक्त अनुपयोगी/रद्दी सामग्रियों का निष्पादन बोली के आधार पर दिनांक 25.01.2026 को पूर्वाह्न 11 बजे कार्यालय के नये भवन में किया जाएगा।
2. बोली में भाग लेने वाले इच्छुक कारोबारियों को भाग लेने से पूर्व अग्रधन के रूप में रू.5000/–(पांच हजार रूपये) मात्र कार्यालय के प्रशाखा पदाधिकारी–सह–रोकड़पाल श्री सदानन्द कुमार के पास नकद रूप में जमा करना आवश्यक होगा।
3. निष्पादित होने वाले सामग्रियों को देखने हेतु बोली में भाग लेने को इच्छुक कारोबारी कार्यालय में कार्यदिवसों में आकर श्री सुशांत कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक तथा श्री अमित कुमार झा, बाह्यस्रोत डाटा इंट्री ऑपरेटर से संपर्क कर सकते हैं।
4. बोली के माध्यम से निष्पादन होने वाले सामग्रियों को अधिकतम बोली लगाने बाले कारोबारियों को समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर दिया जायेगा, जिसे कारोबारी अपने खर्च पर तुरत कार्यालय परिसर से ले जाने को बाध्य होंगे।
5. निष्पादित सामग्रियों को कार्यालय परिसर से बाहर ले जाने के पूर्व ही अग्रधन की राशि के सामंजन उपरांत देय संपूर्ण राशि एकमुश्त जमा करना होगा। बोली में सफल घोषित किये गये कारोबारी के अतिरिक्त शेष का अग्रधन वापस कर दिया जायेगा।
6. निष्पादित सामग्रियों को ले जाने वाले कारोबारी इस आशय का एक प्रमाण पत्र कार्यालय में समर्पित करेंगे कि –निष्पादित सामग्रियों का उनके द्वारा उपयोग/निष्पादन वैधानिक तरीके से किया जाना होगा तथा वे निष्पादन के विहित तरीके का कोई उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में नहीं करेंगे।
7. उपर्युक्त सूचना जो संदर्भ संख्या–14 दिनांक 09.01.2026 द्वारा निर्गत हुआ, के आलोक में दिनांक 25.01.2026 को पूर्वाह्न 11 बजे बोली आमंत्रित किया गया, जिसमें कुल 27(सत्ताईस) मात्र कारोबारियों ने भाग लिया।
8. उक्त तिथि को आमंत्रित बोली में भाग लेने वाले कारोबारियों में से किसी भी कारोबारी ने समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम बोली रू.525000/–(पांच लाख पच्चीस हजार रूपये) मात्र अथवा इससे अधिक की बोली नहीं लगायी जबकि उनके अनुरोध पर सामग्रियों को एकमुश्त बोली के लिये अनुमत कर दिया गया।
9. वर्णित स्थिति में उक्त तिथि को बोली आमंत्रण की कार्यवाही बिना किसी के पक्ष में अनिर्णीत समाप्त हो गया।
10. समिति की अनुशंसा के आलोक में निर्णय लिया गया है कि दिनांक 07.02.2026(शनिवार) के दिन पुनः बोली आमंत्रित की जायेगी, जिसमें पूर्व की उपर्युक्त शर्तो के साथ–साथ उपर्युक्त कंडिका–8 में उल्लिखित न्यूनतम बोली की राशि रू.525000/–(पांच लाख पच्चीस हजार रूपये) मात्र तथा एकमुश्त सामग्रियों के निष्पादन के आधार पर संशोधित अग्रधन की राशि जो अधोलिखित कंडिका–11 में है के साथ बोली लगायी जा सकेगी।
11. इच्छुक कारोबारी दिनांक 06.02.2026 तक अग्रधन रू.25000/–(पच्चीस हजार रूपये) मात्र की राशि कार्यालय में जमा कर बोली में भाग ले सकेंगे।

31.1.26.
(जटा शंकर झा)
सरकार के उप सचिव
उच्च न्यायालय, पटना।